"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017—भाद्र 31, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश कुमार साहू, आत्मज स्व. इतवारी राम साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम-कोटरासरार, पोस्ट-जंगलपुर, थाना-लालबाग, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441 का हूं. यह कि मैं, आर्मी विभाग में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री आकांक्षा साहू (Aakanksha Sahu) का नाम (Akanksha Sahu) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर सही नाम (Aakanksha Sahu) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को आकांक्षा साहू (Aakanksha Sahu) आत्मजा श्री नरेश कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

Akanksha Sahu
पिता-श्री नरेश कुमार साहू
निवासी-ग्राम-कोटरासरार,
पोस्ट-जंगलपुर, थाना-लालबाग,
तहसील-डोंगरगांव,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन-491441

**नया नाम**

Aakanksha Sahu
पिता-श्री नरेश कुमार साहू
निवासी-ग्राम-कोटरासरार,
पोस्ट-जंगलपुर, थाना-लालबाग,
तहसील-डोंगरगांव,
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन-491441

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला चन्द्राकर ध. प. श्री जितेन्द्र चन्द्राकर, उम्र 50 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 22, म. नं.-320, स्टेशन पारा, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नाम निर्मला चन्द्राकर दर्ज है जो कि सही है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है तथा उनके सर्विस रिकार्ड के दस्तावेजों में मेरा नाम निर्मला दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम निर्मला चन्द्राकर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे निर्मला चन्द्राकर ध. प. श्री जितेन्द्र चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| निर्मला<br>पति-श्री जितेन्द्र चन्द्राकर<br>निवासी-वार्ड नं.-22, म. नं.-320,<br>स्टेशन पारा, दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | निर्मला चन्द्राकर<br>पति-श्री जितेन्द्र चन्द्राकर<br>निवासी-वार्ड नं.- 22, म. नं.-320,<br>स्टेशन पारा, दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सचिन कुमार पाटिल, आत्मज-श्री अरूण कुमार पाटिल, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं.-6, क्वा. नं.-11, हाउसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र, शासकीय स्कूल के पास, थाना-जामुल, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सभी आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम सचिन कुमार पाटिल दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा दसवी की अंकसूची में मेरा नाम सचिन कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम सचिन कुमार पाटिल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सचिन कुमार पाटिल आ. श्री अरूण कुमार पाटिल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| सचिन कुमार<br>पिता-श्री अरूण कुमार पाटिल<br>निवासी-ब्लाक नं.-6, क्वा. नं.-11,<br>हाउसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र,<br>शासकीय स्कूल के पास,<br>थाना-जामुल, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | सचिन कुमार पाटिल<br>पिता-श्री अरूण कुमार पाटिल<br>निवासी-ब्लाक नं.-6, क्वा. नं.-11,<br>हाउसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र,<br>शासकीय स्कूल के पास,<br>थाना-जामुल, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, समीर खान आत्मज-श्री इस्लामुद्दीन खान, निवासी- म. नं.-124, मठपारा (लोहार पारा) वार्ड नं.-28, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम राजा खान आ. श्री इस्लामुद्दीन खान था तथा यही नाम से जाना, पहचाना जाता था. यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम समीर खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे समीर खान आ. श्री इस्लामुद्दीन खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

राजा खान<br>
पिता-श्री इस्लामुद्दीन खान<br>
निवासी-म. नं.-124, मठपारा (लोहार पारा),<br>
वार्ड नं.-28,<br>
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

**नया नाम**

समीर खान<br>
पिता-श्री इस्लामुद्दीन खान<br>
निवासी-म. नं.-124, मठपारा (लोहार पारा),<br>
वार्ड नं.-28,<br>
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पीहू साहू आत्मजा श्री बलराम दास साहू, निवासी- दीनदयाल उपाध्याय नगर, वार्ड नं-6, चिखली, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम पिलेश्वरी साहू था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज है तथा इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम पीहू साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे पीहू साहू आत्मजा श्री बलराम दास साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

पिलेश्वरी साहू<br>
पिता-श्री बलराम दास साहू<br>
निवासी-दीनदयाल उपाध्याय नगर,<br>
वार्ड नं-6, चिखली,<br>
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

**नया नाम**

पीहू साहू<br>
पिता-श्री बलराम दास साहू<br>
निवासी-दीनदयाल उपाध्याय नगर,<br>
वार्ड नं-6, चिखली,<br>
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डी मन्जू साहू, आत्मजा श्री बलराम दास साहू, निवासी- दीनदयाल उपाध्याय नगर, वार्ड नं-6, चिखली, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. डोमिन साहू था, मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी. तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम डी मन्जू साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे डी. मन्जू साहू आत्मजा श्री बलराम दास साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| कु. डोमिन साहू<br>पिता-श्री बलराम दास साहू<br>निवासी-दीनदयाल उपाध्याय नगर,<br>वार्ड नं-6, चिखली,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | डी मन्जू साहू<br>पिता-श्री बलराम दास साहू<br>निवासी-दीनदयाल उपाध्याय नगर,<br>वार्ड नं-6, चिखली,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कोदुराम देशमुख आत्मज स्व. परदेशी राम देशमुख, निवासी-म. नं.-630, वार्ड नं.-16, ग्राम-चंदखुरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कोदुराम देशमुख दर्ज है जो कि सही है. किन्तु भू-राजस्व अभिलेख में मेरा पूर्व नाम गंगाराम आ. स्व. परदेशी राम देशमुख है तथा मैं यही नाम से जाना, पहचाना जाता था. मैं अपना पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम कोदुराम देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे कोदुराम देशमुख आ. स्व. परदेशी राम देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| गंगाराम देशमुख<br>पिता-स्व. परदेशी राम देशमुख<br>निवासी-म. नं.-630, वार्ड नं.-16,<br>ग्राम-चंदखुरी,<br>तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) | कोदुराम देशमुख<br>पिता-स्व. परदेशी राम देशमुख<br>निवासी-म. नं.-630, वार्ड नं.-16,<br>ग्राम-चंदखुरी,<br>तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुख लाल गंधर्व आत्मज श्री झारू, उम्र 52 वर्ष, निवासी-म. नं.-585, वार्ड नं.-31, सेक्टर-11, जोन-3, ननगईहापारा, दुर्गा मंदिर के पास, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड तथा शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम सुख लाल गंधर्व दर्ज है जो कि सही है. किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शुक लाल (Shuk Lal) दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सुख लाल गंधर्व रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुख लाल गंधर्व आ. श्री झारू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

शुक लाल (Shuk Lal)
सुख लाल (Sukh Lal)
पिता-श्री झारू
निवासी-म. नं.-585, वार्ड नं.-31,
सेक्टर-11, जोन-3, ननगईहापारा,
दुर्गा मंदिर के पास, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

सुख लाल गंधर्व (Sukh Lal Gandharw)
पिता-श्री झारू
निवासी-म. नं.-585, वार्ड नं.-31,
सेक्टर-11, जोन-3, ननगईहापारा,
दुर्गा मंदिर के पास, खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रावाडा देवडू (Ravada Devadu) आत्मज स्व. रावाडा पोरपोलइया (Late Ravada Porpollaiah) उम्र 52 वर्ष निवासी-भवन क्र. 79, वृन्दानगर वार्ड नं.-17, केम्प-1, थाना छावनी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरा पुत्र रावाडा तेजाकिरण (Ravada Tejakiran) कृष्णा पब्लिक स्कूल, सुन्दर नगर, भिलाई जिला दुर्ग में कक्षा दसवीं का छात्र है, उसके शालेय अभिलेख में रावाडा तेजाकिरण (Ravada Tejakiran)·के स्थान पर (R. Tejakiran)· दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम/उपनाम परिवर्तित कर सही नाम रावाडा तेजाकिरण (Ravada Tejakiran) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को रावाडा तेजाकिरण आ. रावाडा देवडू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

आर. तेजाकिरण (R. Tejakiran)
पिता-आर. देवडू (R. Devadu)
निवासी-भवन क्र. 79, वृन्दानगर,
वार्ड नं.-17, केम्प-1,
थाना-छावनी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

रावाडा तेजाकिरण
(Ravada Tejakiran)
पिता-रावाडा देवडू
(Ravada Devadu)
निवासी-भवन क्र. 79, वृन्दानगर,
वार्ड नं.-17, केम्प-1,
थाना-छावनी, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री बसंत कुमार ठाकुर आत्मज श्री दयाराम ठाकुर, उम्र 52 वर्ष, जाति हल्बा, निवासी-ग्राम-सैगोना (मजगांव रोड), तहसील कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) का हूं. यह कि मुझसे संबंधित सभी दस्तावेजों, आधार कार्ड में मेरा पूर्ण नाम श्री बसंत कुमार ठाकुर दर्ज है जो कि सही है. किन्तु मेरी पुत्री के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट में मेरा नाम B. K. Thakur दर्ज हो गया है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम श्री बसंत कुमार ठाकुर रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्री बसंत कुमार ठाकुर आ. श्री दयाराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

बी. के. ठाकुर (B. K. Thakur)
पिता-श्री दयाराम ठाकुर
निवासी-ग्राम-सैगोना (मजगांव रोड),
तहसील-कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

**नया नाम**

बसंत कुमार ठाकुर
पिता-श्री दयाराम ठाकुर
निवासी-ग्राम-सैगोना (मजगांव रोड),
तहसील कवर्धा
जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक मालेवार आत्मज-स्व. तुकाराम मालेवार, जाति-तेली, निवासी-107, वार्ड नं.-30 पुराना हाईकोर्ट के सामने, जुना बिलासपुर, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ. ग.), पिन-495001 का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दीपक कुमार मालेवार था यही नाम मेरे पेन कार्ड, बैंक से संबंधित दस्तावेजों तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है तथा यही नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम दीपक मालेवार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दीपक मालेवार आ. स्व. तुकाराम मालेवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

दीपक कुमार मालेवार
पिता-स्व. तुकाराम मालेवार
निवासी-107, वार्ड नं.- 30
पुराना हाईकोर्ट के सामने,
जुना बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
पिन-495001

**नया नाम**

दीपक मालेवार
पिता-स्व. तुकाराम मालेवार
निवासी-107, वार्ड नं.- 30
पुराना हाईकोर्ट के सामने,
जुना बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
पिन-495001

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परि./2017/1849.—वस्तुत: सामाजिक उत्थान अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. चकरबेढ़ा पं. क्र. 3903 दिनांक 10-08-1998 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) के सदस्यों द्वारा दिनांक 17-12-2016 की बैठक की कार्यवाही अनुसार संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्वाचन कराने में असमर्थ है एवं संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैठक दिनांक 01-08-2017 के कार्यवाही अनुसार संस्था अकार्यशील है संस्था का कोई तालाब एवं जलाशय आवंटित नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. अत: प्राधिकृत अधिकारी के उक्त प्रस्ताव से मैं सहमत हूं.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये सामाजिक उत्थान अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. चकरबेढा, पं. क्र. 3903 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1909.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/78 दिनांक 06-01-2015 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कु. गोधुली वर्मा, सहकारी निरीक्षक, के स्थान पर श्री अरूण शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को भवानी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बसिया पं. क्र. 122, दिनांक 02-11-2001 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1910.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/76 दिनांक 06-01-2015 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कु. गोधुली वर्मा, सहकारी निरीक्षक, के स्थान पर श्री अरूण शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 478, दिनांक 14-09-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1911.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/2292 दिनांक 13-08-2012 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कु. गोधुली वर्मा, सहकारी निरीक्षक, के स्थान पर श्री अरूण शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. अज्ञेयनगर, बिलासपुर पं. क्र. 3819, दिनांक 26-11-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1912.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/2292 दिनांक 13-08-2012 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कु. गोधुली वर्मा, सहकारी निरीक्षक, के स्थान पर श्री अरूण शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को म्युनिसपल हरिजनकर्मचारी थ्रिफ्ट सहकरी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 435, दिनांक 15-07-1982 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1913.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/2879 दिनांक 04-11-2016 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री आकाश शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, के स्थान पर श्री दीपक कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा, को गौण सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी प. क्र. 143 दिनांक 17-07-2003 विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर, का परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

क्रमांक/उपबि/परिसमापन/2017/1914.—वस्तुत: कर्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/2466 दिनांक 01-09-2016 में आंशिक संशोधन करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री आकाश शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, के स्थान पर श्री दीपक कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा, को आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. उषाढ़ प. क्र. 3366 दिनांक 26-09-1990 विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

यह आदेश आज दिनांक 14-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**दिलीप जायसवाल**
उप पंजीयक .

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.